<u>न्यायालय : गोपेश गर्ग, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,</u> <u>गोहद जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश</u>

प्रकरण कमांक : 543 / 2015

संस्थापन दिनांक 03.08.2015

म.प्र.राज्य द्वारा पुलिस थाना मालनपुर जिला भिण्ड म.प्र.

– अभियोजन

<u>बनाम</u>

1—रामनिवास पुत्र कल्याणसिंह गुर्जर, उम्र 30 साल निवासी ग्राम खुड़ी थाना सिहोंनिया जिला मुरैना म.प्र.

– अभियुक्त

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक	को	घोषित)
-------------	----	-------	---

उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध धारा 25(1-बी)(ए) आयुध अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 09.06.15 को दोपहर 12:05 बजे कॉम्प्टन फैक्टी के समीप रिटौरा रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय चार राउण्ड 315 बोर का अपने आधिपत्य में रखा।

अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि दिनांक 09.06.15 को थाना प्रभारी शिवसिंह यादव अ०सा04 को रोजनामचा सान्हा क्रमांक 340 समय10:30 बजे जर्ये मुखबिर सूचना मिली कि फरारी बदमाश रामनिवास गुर्जर हथियारबंद होकर काम्प्टन फैक्टी के समीप रिठौरा रोड पर घूम रहा है और किसी के आने का इंतजार कर रहा है तथा कोई बड़ी वारदात करने की फिराक में है। सूचना की तस्दीक हेतु मय पुलिस व शासकीय वाहन से मुखबिर के बताये स्थान पर पहुंचा तो एक आदमी संदिग्ध अवस्था में दिखा तथा आरोपी पुलिस बल देखते ही भागने लगा हमराही फोर्स की मदद से घेरा डालकर पकड़ा तथा नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामनिवास पुत्र कल्यानसिंह गुर्जर उम्र 30 साल निवासी खुड़ी थाना सिहोंनिया मुरैना का होना बताया जो तलाशी लेने पर कमर में कट्टा 315बोर का जिसकी नाल में लगा एक जिंदा राउण्ड मिला तथा दांयी ओर पैन्ट की जेब से

तीन जिंदा राउण्ड 315 बोर के मिले जिनका लाइसेन्स चाहने पर आरोपी ने न होना बताया तब समक्ष गवाहन कट्टा व राउण्ड को जप्त कर आरोपी को गिरफतार किया गया। जप्ती पत्रक प्र0पी—1 व गिरफतारी पत्रक प्र0पी—2 बनाया गया। थाना वापिसी पर एफ.आई.आर. प्र0पी—8 के अनुसार अप०क० 94/15 पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। आयुध का परीक्षण कराकर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गयी। संपूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रकट होने से अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

आरोपी ने आरोप पत्र अस्वीकार कर विचारण का दावा किया है और आरोपी की प्रतिरक्षा है कि उसे प्रकरण में झूठा फंसाया गया है बचाव में किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.06.15 को दोपहर 12:05 बजे कॉम्प्टन फैक्टी के समीप रिठौरा रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 बोर का देशी कट्टा मय चार राउण्ड 315 बोर का अपने आधिपत्य में रखा ?

/ / विचारणीय प्रश्न पर सकारण निष्कर्ष / /

साक्षी शिवसिंह यादव अ०सा०४ का कथन है कि वह दिनांक 09.06.15 को मालनपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था उक्त दिनांक को राजनामचा सान्हा क्रमांक 340 पर 10:30 बजे मुखबिर से सूचना मिली थी कि फरारी बदमाश रामनिवास गुर्जर हथियारबंद होकर कॉम्प्टन फैक्टी के समीप रिठौरा पर घुम रहा है और किसी का आने का इंताजार कर रहा है कोई वारदात करने की फिराक है सूचना की तस्दीक पर मुखबिर द्वारा बताये स्थान पर पहुंचा जहां पर एक आदमी संदिग्ध अवस्था में मिला और पुलिस को देखकर भागने लगा हमराही फोर्स की मदद से घेरकर पकडा व नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम रामनिवास पिता कल्याणसिंह गुर्जर निवासी खुड़ी थाना सिहोनिया जिला मुरैना का होना बताया जो अपनी कमर में 315बोर का कट्टा जिसकी नाल में लगा एक जिंदा राउण्ड मिला तलाशी पर दांयी ओर पेन्ट की जेब से तीन जिंदा राउण्ड 315बोर के मिले जिनके संबंध में लाइसेन्स पूछे जाने पर न होना बताया। आरोपी से उक्त कट्टा देशी 315बोर का एवं एक जिन्दा राउण्ड कमर से एवं तीन 315बोर के राउण्ड पेन्ट की जेब से प्र0पी–1 के वर्णानुसार जप्त किए जिसके डी से डी भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को न्यायालय में दिखाया गया कट्टा वही कट्टा है जो उसके द्वारा आरोपी रामनिवास से जप्त किया गया था जो आर्टिकल ए-1 है तथा राउण्ड आर्टिकल ए–2.3.4.5 हैं। आरोपी रामनिवास को गिरफतार कर प्र0पी–2 का गिरफतारी पंचनामा बनाया था जिसके सी से सी भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। थाने पर सूचना प्राप्त होने का रोजनामचा सान्हा दिनांक 340 दिनांक 09.06.15 है जिसकी कार्बन प्रति प्रकरण में संलग्न है जो प्र0पी-5 है रवानगी होने का सान्हा प्र0पी–6 है जोकि नंबर 341 दिनांक 09.06.15 है। वापिसी का सान्हा प्र0पी–7 है। थाना लौटकर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र0पी-8 लेख किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी जगजीतसिंह अ0सा01 का कथन है कि वह आरोपी रामनिवास

6

को जानता है। दिनांक 09.06.15 को सुबह लगभग 10:30 बजे वह थाने पर था तभी टी0आई0 शिवसिंह अ0सा04 ने और फोर्स बुलाकर उन्हें बताया कि ईनामी बदमाश रामनिवास पुत्र किलयानिसंह गुर्जर निवासी टुडी थाना सिहोंनिया जिला मुरैना का काम्प्टन ग्रीब्ज फैक्टी के पास रिटौरा रोड पर हथियार लिए किसी वारदात को अंजाम देने की नीयत से खड़ा है फिर टी.आई. व हमराह फोर्स के मय शासकीय वाहन से रवाना होकर उक्त स्थान पर पहुंचे तो एक व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने का प्रयास करने लगा जिसे सभी ने घेरकर पकड़ा। टी0आई0 ने आरोपी से नाम पता पूछा तो आरोपी ने अपना नाम रामनिवास पुत्र किलयानिसंह गुर्जर उम्र 30 साल निवासी टुडी थाना सिहोंनिया का बताया। तलाशी लेने पर आरोपी कमर में बांयी तरफ एक 315बोर का कट्टा जिसमें एक जिंदा राउण्ड लगा था मिला एवं पेन्ट की दाहिनी जेब में तीन जिंदा कारतूस मिले जिसके संबंध में टी0आई0 ने लाइसेन्स पूछा तो आरोपी ने न होना बताया। बाद में कट्टा व राउण्ड टी0आई0 द्वारा जप्त कर जप्ती पंचनामा बनाया जो प्र0पी—1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं व आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पंचनामा प्र0पी—2 बनाया जिस पर ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

साक्षी रामकुमार अरेले अ०सा०३ का कथन है कि वह दिनांक 31.07.15 को पुलिस लाइन भिण्ड में आरक्षक आर्म मोहर्र के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना मालनपुर के अप०क० 94/15 धारा 25,27 आर्म्स एक्ट में थाना मालनपुर से एच.सी. 305 भानूप्रताप के द्वारा कट्टा राउण्ड सीलबंद जांच हेत् प्राप्त हुए तथा थाना प्रभारी की तहरीर, पंचनामा, एफआईआर, जप्ती जांच हेत् साथ में प्राप्त हुए। जप्तशूदा एक 315 बोर के देशी कट्टा व 315बोर के चार राउण्डों की जांच उसके द्वारा की गयी थीं। जांच के दौरान 315बोर के देशी कटटा की बॉडी पीतल की तथा ट्रिगर लगा हुआ तथा खोलने के दोनों कैच एवं बट फ्रेम पीतल के लगे हैं हैम्बर के पीछे पीतल का कुन्दा लगा है तथा फायरिंग पिन लोहे की लगी है। कट्टा की संपूर्ण लंबाई 9 इंच है व बैरल लोहे का जिसी लंबाई 5 इंच है तथा बट लकड़ी का लगा है जिसकी लंबाई 3 इंच है। कट्टे का एक्शन चैक करने पर कटटा अनुपयोगी पाया गया जिससे फायर नहीं हो सकता है तथा कटटा का एक्शन सही काम नहीं करता है। तथा 315बोर के चार जिन्दा राउण्ड चालू हालत में थे जिन्हें फायर किया जा सकता है। चारों राउण्डों की पेंदी पर 8एमएमकेएफ लिखा है। बाद जांच कर कट्टा व राउण्ड उसी सफेद कपड़े में सीलबंद कर थाना मालनपुर को वापिस किया गया। उसके द्वारा तैयार जांच रिपोर्ट प्र0पी-4 है जिसके ए से ए भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। 🕨

साक्षी हरवीर अ0सा02 ने कथन किया है कि वह आरोपी को नहीं जानता। उसने नहीं मालूम की पुलिस ने क्या कार्यवाही की। जप्ती पत्रक प्र.पी.1 व गिरफतारी पत्रक प्र.पी.2 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा सुझाव स्वरूप पूछे जाने पर इस साक्षी नें इंकार किया है कि पुलिस नें उसके समक्ष आरोपी से एक 315 बोर का कट्टा जप्त किया था। इस आशय के तथ्य उल्लेखित होने पर घ्यान आकर्षित कराये जाने पर आरोपी से कट्टा जप्त होने का तथ्य कथन प्र.पी.3 में दिये जाने सें इंकार किया है।

साक्षी रामकुमार अ.सा.3 ने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है कि कट्टे का एकशन सही काम नहीं करता था तथा कट्टा अनुपयोगी था। यह भी स्वीकार किया है कि कट्टा से फायर नहीं किया जा सकता था। इस संबंध में न्यायदृष्टांत

कान सिंह बनाम म.प्र राज्य 2006 क.ल.ज एन ओ सी 194 म.प्र अवलोकनीय है जिसके अनुसार जहां अभियोजन आयुध के परिचालित होने का तथ्य प्रमाणित नहीं कर सका है वहा अपराध प्रमाणित नहीं होता है। अतः परिचालन योग्य कट्टा न होने से कट्टा आयुध की श्रेणी में नहीं आता है। अत कट्टे के संबंध में अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है।

साक्षी शिवसिंह अ०सा०४ नें मुख्यपरीक्षण में आरोपी के आधिपत्य से कट्टे में एक 315 बोर का राउंड एवं तीन पेंट की जेब में राउंड जप्त होना बताये हैं। यही कथन जगजीत अ०सा०१ ने भी किया है और साक्षी रामकुमार अ०सा०३ ने 315 बोर के चार राउंड चालू हालत में होकर फायर किये जाने योग्य होना बताया है। अतः आरोपी से चार राउंड जप्त हुये हैं जो कि आयुध की श्रेणी में आते हैं।

शिवसिंह अ०सा०४ ने पैरा—2 में कथन किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0—1 में रोजनामचा सान्हा का कॉलम रिक्त है और गिरफतारी पत्रक प्र0पी0—2 में भी रोजनामचा सान्हा का कमांक उल्लेखित नहीं है लेकिन एफ०आई०आर० प्र0पी—6 में रोजनामचा सान्हा कमांक 340 का स्पष्ट उल्लेख है जिसकी प्रविष्ट रोजनामचा सान्हा प्र0पी0—5 से भी होती है। अतः उक्त त्रुटि मात्र औपचारिक त्रुटि है।

शिवसिंह अ0सा04 ने पैरा–2 में स्वीकार किया है कि जप्ती पत्रक प्र0पी0–1 पर नमुना शील नहीं लगाये हैं और कथन किया है कि राउंड 8 एम0एम0 के थे, लेकिन जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 में 8 एम0एम0 के राउंड होने का उल्लेख नहीं है। जगजीत अ०सा०-1 ने भी पैरा-2 में कथन किया है कि राउंड को सीलबंद किया था। जप्ती पत्रक प्र0पी0–1 में कारतूश शील किये जाने का उल्लेख किये जाने के लिये उसने शिवसिंह अ०सा०४ से नहीं कहा था और ना ही नमूना शील अंकित करने को कहा मौके पर सील उपलब्ध थी। शिवसिंह अ०सा०४ पैरा 3 में कथन किया है कि उसे नहीं मालूम कि कारतूस शीलबंद किये जाने का कोई दस्तावेज बनाया गया था। जप्त 315 बोर के राउंड कितने एम0एम0 के थे वह नहीं बता सकता। जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 में भी एम0एम0 का उल्लेख भी नहीं है और कारत्श का कोई खाखा तैयार नहीं किया था और पैरा–4 में कथन किया है कि उसने पुलिस कथन में राउंड शील्ड किये जाने का नहीं बताया था। जप्ती पत्रक के पैरा क्रमांक -12 में आयुध शीलबंद किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। अतः आयुध शीलबंद न किये जाने की बचाव पक्ष की आपत्ति का खंडन होता है। जप्ती पत्रक प्र0पी0–1 में यद्यपि राउंड का एम0एम0 अंकित नहीं है परंत् 315 बोर का उल्लेख है और राउंड की पहचान शिवसिंह अ०सा०४ ने आर्टीकल ए-2 लगायत ए-5 से स्पष्ट की है। रामकुमार अ0सा0-3 ने पैरा-2 में शीलबंद आयूध प्राप्त होना बताया है और फिर पुनः शीलबंद किया जाना बताया है। अतः ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया है कि घटनास्थल पर प्राप्त राउंड आर्टीकल ए-2 लगायत ए-5 नहीं है। राउंड शीलबंद किया जाना भी मौखिक साक्ष्य से भी प्रमाणित हुआ है जिसकी संपृष्टि जप्ती पत्रक प्र0पी0-1 से भी नहीं हुयी है। अतः मात्र एम0एम0 के उल्लेख का अभाव औपचारिक त्रुटि है।

3 स्वतंत्र साक्षी हरवीर अ०सा०–2 ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। साक्षी शिवसिंह ने पैरा–2 में इंकार किया है कि हरवीर अ०सा०2 उसे मौके पर नहीं मिला था। यह स्वीकार किया है कि घटनास्थल सार्वजनिक रोड है और जगजीत अ०सा०1 उसका अधीनस्थ कर्मचारी है। घटनास्थल पर कितने वाहन आ जा रहे थे वह नहीं बता सका है। शिवसिंह अ०सा०४ ने पैरा –3 में कथन किया है कि सुभाष पांडे एवं जगजीत अ०सा०1 और अन्य पुलिस वाले जिनका उल्लेख रोजनामचा में है उसके साथ गये थे। जगजीत अ०सा०1 ने भी पैरा–5 में उसके साथ सभी पुलिसकर्मीगण का ही जाना बताया है। अतः घटनास्थल पर स्वतंत्र साक्षी के पक्ष समर्थन के अभाव में पुलिस साक्षीगण की साक्ष्य ही अभिलेख पर है और न्यायदृष्टांत नाथूसिंह बनाम मध्यप्रदेश राज्य ए०आई०आर० 1973 सुप्रीम कोर्ट 2783 के अनुसार अगर पंचसाक्षीगण ने समर्थन नहीं किया था पुलिस साक्षीगण के कथन विश्वसनीय हो तो उन पर विचार किया जाना चाहिये। वर्तमान मामले में भी शिवसिंह अ०सा०४ के कथन प्रतिपरीक्षण में किसी महत्वपूर्ण लोप या विरोधाभास से ग्रस्त होना प्रतीत नहीं हुये है। जिसकी संपुष्टि जगजीत अ०सा०1 के कथन से ही हुयी है। उनकी आरोपीगण से कोई अमेत्री प्रमाणित नहीं हुयी है। अतः उनकी साक्ष्य पर विश्वास किया जा सकता है जिससे स्वतंत्र साक्ष्य का अभाव तात्विक नहीं है।

शिवसिंह ने पैरा—2 में कथन किया है कि वह थाने से कितने बजे रवाना हुआ उसे याद नहीं है। जगजीत अ0सा01 ने पैरा—2 में कथन किया है कि वह 10:40 बजे रवाना हुये थे उक्त तथ्य की संपुष्टि रोजनामचा सान्हा प्र0पी0—6 से भी होती है। अतः अभियोजित घटना समय पर पुलिस साक्षीगण की उपस्थिति घ ाटनास्थल पर प्रमाणित होती है।

न्यायदृष्टांत शिवराजसिंह यादव बनाम मध्यप्रदेश राज्य 2010—4 एम0पी0एल0जे0—49डी0बी0 के आलोक में अभियोजन स्वीकृति भी बचाव पक्ष द्वारा चुनौतीगत नहीं रखी गयी है।

अतः उपरोक्त संपूर्ण तथ्यों से शिवसिंह के कथन से आरोपी के आधिपत्य से चार राउंड जप्त होना प्रमाणित होते हैं जो रामकुमार अ०सा०३ के कथन अनुसार फायर किये जाने योग्य थे जिसकी संपुष्टि जगजीत अ०सा०–1 के कथन से भी होती है। अतः अभियोजन अपना मामला सिद्ध करने में सफल रहता है और यह सिद्ध होता है कि आरोपी ने दिनांक 09.06.15 को दोपहर 12:05 बजे कॉम्प्टन फैक्टी के समीप रिठौरा रोड मालनपुर जिला भिण्ड पर अपने ज्ञानपूर्ण आधिपत्य में बिना वैध अनुज्ञा के आयुध 315 के चार राउण्ड 315 बोर का अपने आधिपत्य में रखा।

17 परिणामतः आरोपी को धारा धारा 25(1—बी)(ए) आयुध अधिनियम में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

18 आरोपी पूर्व से अभिरक्षा में है।

20

19 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर विचार किया गया। आरोपी द्वारा सार्वजिनक स्थान पर चार जिंदा राउंड धारण किया गया था पर्याप्त जनहानि कर सकता था। अतः आरोपी ने गंभीर अपराध घटित किया है। अतः आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत न होने से परिवीक्षा का लाभ प्रदान नहीं किया जा रहा है।

प्रकरण दंड के प्रश्न पर सुनने के लिये कुछ देर बाद पेश हो ।

सही / – (गोपेश गर्ग) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

पुनश्च :

21 आरोपी के अधिवक्ता को दंड के प्रश्न पर सुना गया उनके द्वारा आरोपी को अल्प सजा दिये जाने का निवेदन किया गया । आरोपी को न्यूनतम से कम सजा दिये जाने का कोई कारण प्रदर्शित नहीं होता है। अतः आरोपी को धारा 25(1–बी)(ए) आयुध अधिनियम के आरोप में एक वर्ष के सश्रम कारावास और 300 सौ रूपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड जमा करने में व्यतिक्रम की दशा में दस दिवस का कारावास भृगताया जावे।

22 प्रकरण में आरोपी दिनांक 10—6—15 से आज निर्णय दिनांक 9—11—16 तक अभिरक्षा में रहा है। अतः उक्त निरोध में बितायी गयी अवधि मूल सजा में समायोजित की जावे इस संबंध में धारा 428 दं०प्र0स0 का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

23 प्रकरण में जप्त कट्टा व चार राउंड अपील अविध पश्चात् निराकरण हेतु जिला दंडाधिकारी भिंड को भेजे जावे । अपील होने की दशा में अपील न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे ।

ALIMAN PARANTAL SUNTAL PARANTAL PARANTA

दिनांक :-

सही / –
(गोपेश गर्ग)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड म0प्र0